

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0, जयपुर

क्रमांक:-ए.4()लेखा/राज्य निधि/आवं/2019-20/ 2054

दिनांक 24-03-2020

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त।

विषय:-कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमितों एवं संदिग्धों की जांच एवं उपचार में लगे चिकित्सकों एवं नर्सिंग कर्मियों को प्रोत्साहन राशि दिये जाने की स्वीकृति।

संदर्भ:-शासन उप सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग के पत्रांक प. 25(01)/चि. स्वा/2/2018 दिनांक 23.03.2020

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमितों एवं संदिग्धों की जांच एवं उपचार के संबंध में लगे चिकित्सकों को इस पूरी अवधि के लिये 5 हजार रु प्रति चिकित्सक एक बारीय प्रोत्साहन राशि एवं इसी प्रकार वो समस्त नर्सिंगकर्मि, एएनएम, एलएचवी, टैक्नीशियन, वाहन चालक, वार्ड बॉय एवं सफाईकर्मि जो कि चिकित्सकों की उपरोक्त कार्य में सहायता कर रहे हैं एवं कोरोना संक्रमित रोगियों के उपचार में विभिन्न जगहों पर तैनात हैं, को प्रति कर्मचारी 2500 रु एकमुश्त प्रोत्साहन राशि दिये जाने की स्वीकृति वित्त विभाग की आईडी संख्या 102001712 दिनांक 23.03.2020 के अनुसरण में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग द्वारा संदर्भित आदेश द्वारा जारी की गई है। जिसके संबंध में निम्नांकित बजट मद में निम्नानुसार बजट आवंटन किया जाता है:-

2210-01-110-03-08 GH-(08) वृत्तिका एवं विशिष्ट सेवायें (राज्यनिधि प्रतिबद्ध)

राशि लाखों में

क्रम संख्या	कार्यालय का नाम	आवंटित बजट
1.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर-प्रथम	125.00
2.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर-द्वितीय	85.00
3.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर	114.00
4.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बीकानेर	62.00
5.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा	54.00
6.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झुंझुनु	68.00
7.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर	80.00
8.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर	83.00
9.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाडा	50.00
10.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांरा	29.00
11.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाडमेर	57.00
12.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भरतपुर	56.00
13.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बूंदी	29.00
14.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रतनगढ चूरु	48.00
15.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौडगढ	35.00
16.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा	34.00
17.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर	27.00
18.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डूंगरपुर	45.00
19.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हनुमानगढ	32.00
20.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी गंगानगर	41.00
21.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर	17.00
22.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालौर	32.00
23.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड	31.00
24.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी करौली	31.00
25.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटा	57.00
26.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर	70.00
27.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली	50.00
28.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ	19.00
29.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजसमन्द	27.00

6

30.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर	31.00
31.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीकर	74.00
32.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिरोही	22.00
33.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक	36.00
34.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर	95.00
	योग	1746.00

उक्त आवंटित बजट राशि का व्यय निम्नांकित शर्तों के अध्याधीन किया जाना है:-

1. प्रोत्साहन राशि के भुगतान के संदर्भ में विस्तृत दिशानिर्देश निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें द्वारा पृथक से जारी किये जा रहे हैं। आवंटित राशि का उपयोग उक्त दिशा निर्देशों की समुचित पालना करते हुए करना सुनिश्चित करें।
2. उक्त प्रोत्साहन राशि प्रत्येक के लिये एकबारीय देय होगी।
3. कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमितों एवं संदिग्धों की जांच एवं उपचार में लगे प्रत्येक चिकित्सक को पूरी अवधि के लिये एकबारीय राशि रु 5 हजार देय होगी।
4. कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमितों एवं संदिग्धों की जांच एवं उपचार में लगे प्रत्येक नर्सिंगकर्मी, एएनएम, एलएचवी, टैक्नीशियन, वाहन चालक, वार्डबॉय एवं सफाईकर्मी को राशि रु 2500 एकबारीय प्रोत्साहन राशि का भुगतान देय होगा।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अपने जिले में कार्यरत कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमितों एवं संदिग्धों की जांच एवं उपचार में लगे प्रत्येक चिकित्सक एवं नर्सिंगकर्मी, एएनएम, एलएचवी, टैक्नीशियन, वाहन चालक, वार्डबॉय एवं सफाईकर्मी को उपरोक्तानुसार एकबारीय भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें।
6. राशि का उपयोग निर्धारित प्रयोजनार्थ ही किया जावे।
7. आवंटित राशि में से व्यय राशि का कोष कार्यालय से मिलान कर प्रतिमाह प्रमाण पत्र आगामी माह की 10 तारीख तक अधोहस्ताक्षकर्ता को भिजवाना सुनिश्चित करावें।

SA

वित्तीय सलाहकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-ए.4()लेखा/राज्य निधि/आवं/2019-20/ 2054 दिनांक 24-03-2020
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन उप सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग के पत्रांक प. 25(01)/चि. स्वा/2/2018 दिनांक 23.03.2020 के क्रम में।
2. निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें।
3. प्रभारी अधिकारी, सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

SA
24/3/2020

वित्तीय सलाहकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर